न्यायालयः अंचल अधिकारी, सिमरिया।

—:आदेशः—

विध वाद सं0—34/24—25

मो0 एकरामुल हक,
पिता—मो0 उसमान
ग्राम—आराआतु, थाना—सिमरिया

बनाम्

श्री इन्दर पासवान,
पिता— स्व0 नागेश्वर राम
ग्राम—आराआतु थाना—सिमरिया।

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख—सहित
1	2	3
	अभिलेख आदेश हेतु उपस्थापित किया गया है। आवेदक—मो0 एकरामुल हक, पिता—मो0 उस्मान ग्राम—आराआतु द्वारा आवेदन देकर सूचित किया है कि मौजा—आराआतु के खाता सं0—27, प्लॉट सं0—473 रकवा— 0.08 ए0 प्लॉट सं0—532 रकवा—0.14$\frac{1}{2}$ ए0 एवं प्लॉट सं0—532 रकवा—0.20 ए0 कुल रकवा—0.42$\frac{1}{2}$ ए0 भूमि नागेश्वर राम वल्द हुलास राम से क्रय किया गया है, लेकिन दिनांक— 06.08.2024 को केवालाकर्त्ता नागेश्वर राम के पुत्र इन्दर पासवान एवं उनके बेटा द्वारा जोत—कोड करने से मना किया गया । राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई है, मौजा—आराआतु के अंतर्गत खाता सं0—27, प्लॉट सं0—532, रकवा—0.20 ए0 एवं प्लॉट सं0—473, रकवा—0.08 ए0 एवं 0.14$\frac{1}{2}$ ए0 कुल रकवा—0.42$\frac{1}{2}$ ए0 भूमि नागेश्वर राम, पिता—हुलास राम से क्रय किया गया है, जिसका केवाला सं0—1393 दिनांक—22.04.1971 एवं 1499 दिनांक—04.05.1970 है, जिसका सरकारी रसीद पंजी—II के पृष्ठ सं0—75/1 पर निर्गत हो रहा है। द्वितीय पक्ष के इंदर पासवान, पिता—नागेश्वर राम एवं पिन्टु पासवान एवं जितेन्द्र पासवान दोनों के पिता—इन्दर पासवान के द्वारा प्रश्नगत भूमि को जोत कोड कर लिया गया है। स्थल जांचोंपरांत पाया गया कि खाता सं0—27, प्लॉट स0—532, रकवा—0.08 ए0 भूमि पर इन्दर पासवान के द्वारा धान लगा दिया गया है एवं शेष भूमि परती है, परन्तु इन्दर पासवान द्वारा ऑफलाईन खतियान, ऑनलाईन लगान रसीद संलग्न किया गया है जिसका Receipt No-0020024142 दिनांक—01.07.2025 का राजस्व कागजात प्रस्तुत किया गया। दोनो पक्षों को अपना—अपना दावा प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत की गई। द्वितीय पक्ष द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि मेरे पिता एवं पूर्वज द्वारा भूमि बिक्री नहीं की गई है, इसलिए प्रथम पक्ष को भूमि पर जोत—कोड नहीं करने देंगे। प्रथम पक्ष द्वारा भूमि हासिल से संबंधित केवाला प्रस्तुत किया गया जिसका अवलोकन	

Scanned with OKEN Scanner

से प्रथम दृष्टया संदेह उत्पन्न होने के कारण केवाला सत्यापन हेतु जिला अवर निबंधक, हजारीबाग से पत्राचार की गई। तत्पश्चात् केवाला सत्यापनोपरांत प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। संलग्न केवाला सं0–1393 दिनांक–22.04.1971 एवं 1499 दिनांक–04.05.1970 के आधार पर

ऑनलाईन पंजी–II के पृष्ठ सं0–75/1 पर जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद निर्गत हो रहा है। प्रथम पक्ष द्वारा उपलब्ध कराया गया ऑफलाईन पंजी–II में प्रविष्ट रसीद सं0– 3500237 दिनांक–29.11.2004, 093562 दिनांक–14.01.2008, रसीद सं0–480308 दिनांक–05.11.1998 एवं रसीद सं0–010648 दिनांक–19.02.2016 का 3A पंजी से मिलान किया एवं सही पाया गया, परन्तु ऑफलाईन पंजी–II में परिवर्तन का प्रधिकार कॉलम रिक्त है।

दोनो पक्षों द्वारा समर्पित राजस्व कागजात एवं संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा उपलब्ध कराये गये जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह मामला हक–हकियत का है, जिसका निपटारा सक्षम न्यायालय में संभव है। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित।

7/XI/25

अंचल अधिकारी,
सिमरिया।

7/XI/25

अंचल अधिकारी,
सिमरिया।

Digitally signed by Gourav Kumar Roy
Date: 2025.12.15 13:41:03 +05:30
Location: 10.93.138.7

Scanned with OKEN Scanner